


करीब 2218
स्टेड कोर्ट द्वारा आज
को प्राप्त
7-8-12
कोर्ट
राजस्व क्र० 17/12/11-12



R. 2827-112

प्रहलाद प्रसाद गुप्ता तनय स्व० श्री रामसुन्दर गुप्ता उर्फ सुन्दरलाल गुप्ता
उम्र 50 वर्ष, पेशा दुकानदारी, निवासी ग्राम लालपुर, तहसील अमरपाटन
जिला सतना म०प्र० ----- आवेदक निगराकार

वनाम

शासन म०प्र० जरिये तहसील महोदय सतना जिलासतना म० प्र०

----- अनावेदक नगरनिगराकार

अधिवक्ता श्री आनंद कुमार
गुप्ता द्वारा प्रस्तुत
रीवा. क्रि० 30-07-2012

Amf
30/7/12

नगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार महोदय तहसील अमरपाटन जिला
सतना के राजस्व प्रकरण क्र० 17/12/11-12
में जो आदेश दिनांक 1-7-12 को पारित
व प्रसारित किया गया है।

नगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० पुराजस्व
संहिता सन 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

नगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि विद्वान अधोनस्थ न्यायालय का आदेश विधिरूप प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधोनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का ठाक ठांग से अवलोकन नहीं किया, मात्र सरसरी तौर पर देखते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित

M

Amf

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>11/5/16</p>	<p>आवेदन एवं आवेदन सारिणी के समान समान पर आवेदन लावा गई उमके बाद भी- कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदन एवं आवेदन अथवा अनुपस्थित नहीं होने के कारण प्रमाण अदम परेशी संवर्धित किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">सकल</p>	